पत्र संख्या 5718-ग्राम पं०

बिहार सरकार

योजना एवं विकास, विभाग

(सामुदायिक विकास एवं पंचायत)

पंचायती राज निदेशालय

प्रेषक

श्री के० जी० हजारी,
उप-सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
पो० हिनू, रांची।

(मनौपचारिक रूप से परामर्शित)।

पटना, दिनांक 15 जून 197

विषय—विकास सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन का भार जिला परिषद् को सौंपने के फलस्वरूप पदों का सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि जैसा कि इस विभाग से निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या 8295, दिनांक 20 अगस्त 1973 के ज्ञाप की द्वितीय कंडिका में कहा जा चुका है कि सरकार का यह निर्णय है कि रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम एवं संथाल परगना के जिलों के जिला विकास पदाधिकारी का पदनाम बदल कर सहायक विकासायुक्त-सह-उप-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी किया जाय।

अतः सरकार उक्त जिलों के जिला विकास पदाधिकारी का पदनाम बदल कर सहायक विकासायुक्त-सह-उप-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पदनाम रखने की स्वीकृति देती है। यह आदेश संबंधित जिलों में उप-विकासायुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पदग्रहण की तिथि से लागू होगी।

विश्वासभाजन,
के० जी० हजारी,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 5718-ग्रा० पं०

पटना, दिनांक 15 जून

प्रतिलिपि वित्त विभाग शाखा 8/पंचायती राज निदेशालय के आय-व्यय सहायक को सूचनार्थ अग्रसारित।

के० जी०
सरकार